

NON ENCUMBRANCE सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

अनुसूची 21 - प्रपत्र संख्या 113

आवेदन पत्र संख्या 1135/2021

प्रमाण पत्र संख्या 177/2021

चूंकि श्री K. Nagaraj (Adv.) & D.P.C. Ltd. (Bijapur) ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित

सम्पत्ति के सम्बन्ध में संव्यावाहारों और अवभारों का संविवरण प्रमाण पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गए राज्य के अनुसार विवरण दे)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सम्पत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता०

से ता० 01/01/2007 to till date तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :-

क्रम संख्या	(क) सम्पत्ति का विवरण	विवरण की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृष्ठ

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें :-


(ख) बंधक की दशा में ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इसके बारे में उल्लेख हो।

(ग) पट्टे की दशा में पट्टे अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

Kedarnath Builders


Rajesh K.
Authorised Signatory

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त संव्यवहारों को छोड़कर उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है। प्रमाणित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण पत्र तैयार किया।

हस्ताक्षर-

21/08/21
पदनाम-
सहायक

जिला अवर निबंधन कार्यालय जमशेदपुर
में क्रमा. आवेदक श्री कृष्ण अग्रवाल
अधिका. द्वारा अनुक्रमणी संख्या- II
स्वयं जाँच की गई जितका -
Ward - Moharda, P.S. Birsanagar,
House No. 1200, Khata No. 16,
16, 47, 17, Old - 13, 13, 12 & 9,


तलाशी का सत्यापन ऋणभार प्रमाण का जाँच निम्न व्यक्ति ने की
Plot No. 656(P) 658(P), 673(P)
674(P) Old - 4604(P), 4598(P),
4603(P) & 4602(P) Area -
73.163 decimal जमीन में कोई
अधमात नहीं मिला अतः आवेदक के
लिखित जानकारी के आधार पर यह
प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर-

21/8/21

सहायक
पदनाम-



जिला अवर निबंधन
श्री सिंहभूम, जमशेदपुर
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर


21/08/2021

तारीख... 21/08/2021

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में और संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं। वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये। यदि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण देकर नहीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार ट्रन्जेशन इस प्रमाण पत्र में शामिल न किए जायेंगे।


(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) को प्रविष्टियाँ देखना चाहते हैं, अथवा जो इनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा उन्हें विनिर्विष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो तो उन्हें स्वयं तलाशी करनी होगी।

विहित फीस की भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों की उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय न अपेक्षित तलाशी अपने भर तक सावधानी से की है विभाग प्रमाण पत्र में दिए गए तलाशी परिणाम को किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा दूढ़े गये संव्यवहार और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग द्वारा दूढ़े गये ऐसे संव्यवहार और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिसमें उक्त संपत्ति पर आभार पड़ ता हो।

Kedarnath Builders



Authorised Signatory